नम्बर व
अहकाम जा
हुक्म की ताम
जारी हुए

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–साण्डेराव

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 90/2014
दायरा तिथि 16.10.2014
तारीख फैसला 09.06.2016

वादीगण– **बनामः** **प्रतिवादी–**

स्व.जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंहजी के का.मु.–
1–नटवरसिंह पुत्र जालमसिंहजी
2–मनोहरकंवर पुत्री जालमसिंहजी
3–स्व.लक्ष्मणसिंह पुत्र जालमसिंहजी के का.मु.–
भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
4–स्व.चंद्रपालसिंह पुत्र जालमसिंहजी के का.मु.–
4/1–प्रद्युमनसिंह पुत्र चंद्रपालसिंहजी
4/2–भाग्यश्री पुत्री चंद्रपालसिंहजी
4/3–मधुलिकाकंवर पत्नी चंद्रपालसिंहजी
तमाम जाति राजपूत निवासी साण्डेराव
तहसील सुमेरपुर जिला पाली

राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

दिनांक 09.06.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पटवारी साण्डेराव व भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव ने वादग्रस्त भूमि के बारे में रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध सरहद मौजा साण्डेराव–II तहसील सुमेरपुर में स्थित उनके पुश्तैनी व पैतृक कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 1028 जिसके हाल खसरा नं. 1805 रकबा 16.05 हेक्टर किस्म बारानी दोयम के बारे में इस वादपत्र के जरिए कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए अनुतोष चाहा है। वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः खसरा परिवर्तनशील संवत् 2036–65 व 2068, धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2068–71, मृत्यु प्रमाण पत्र, धारा 80 सीपीसी का नोटिस व रजिस्टर्ड ए./डी. व पावती रसीद इत्यादि की प्रतियां पेश हुई है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध होकर जवाबदावा के लिए विचारार्थ रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में यह पत्रावली पेश हुई। इस मामले में पटवारी साण्डेराव व भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् रेकर्ड एवं मौका स्थिति की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम साण्डेराव–II के खसरा नं.1805 रकबा 45.80 हेक्टर किस्म बारानी–II खाता सं.01 में राजकीय सिवायचक दर्ज है व उक्त भूमि ग्राम साण्डेराव के मुख्य तालाब के भराव व बहाव क्षेत्र में स्थित है, साथ ही नगरपालिका फालना/खुडाला के नगरीय परिधीय सीमा क्षेत्र अर्थात पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है एवं खसरा गिरदावरी की जांच अनुसार वादग्रस्त भूमि रकबा 16.05 हेक्टर पर वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमाया जावे।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

(3) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत तमाम साक्ष्य–दस्तावेज इत्यादि प्रतियों व पटवारी साण्डेराव एवं भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा प्रस्तुत तथाकथित जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण फलस्वरूप वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है वादग्रस्त भूमि गत् एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमिग्राम साण्डेराव क्षेत्र में स्थित होने से ग्राम साण्डेराव नगरपालिका फालना/खुडाला की नगरीय परिधीय सीमा अर्थात पेराफेरी क्षेत्र में आने से वादीगण, वादग्रस्त भूमि बाबत् कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः किसी प्रकार से कानूनन खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं बनते है। इसलिए उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर हमारा विधिक मत है कि वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा साण्डेराव–II, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1805 रकबा 16.05 हेक्टर किस्म बारानी दोयम के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत किसी प्रकार से खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत् प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner